राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति

भारत सरकार एक **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति** शुरू करने के लिये तैयार है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये **अनुकूल वातावरण** बनाना है।

- **ई-कॉमर्स नीति पहली बार वर्ष 2018 में प्रस्तावित की गई थी** और **वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया गया था।**
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने एक सुव्यवस्थित नियामक ढाँचे, तकनीकी प्रगति तथा कुशल आपूर्ति शृंखला एकीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

आगामी ई-कॉमर्स नीति के बारे में प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य:**
  - राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का उद्देश्य एक नियामक ढाँचा स्थापित करना है जो इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी प्रदान करता हो।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:**
  - यह नीति भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
    - वर्ष 2030 तक भारत की **ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता सालाना 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बीच होने का अनुमान है।
    - वैश्विक क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स निर्यात वर्ष 2025 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है, भारत का लक्ष्य इस विकास अवसर को अपने पक्ष में करना है।
- **नियामक निकाय और FDI:**
  - ई-कॉमर्स क्षेत्र हेतु नियामक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, हालाँकि इसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है।
  - **स्थानीय व्यापारियों के संघ ई-कॉमर्स नियमों** को लागू करने और उल्लंघनों को रोकने हेतु सशक्त नियामक निकाय की मांग करते रहे हैं।
  - जबकि मार्केटप्लेस मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **(Foreign Direct Investment- FDI)** की अनुमति है, इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में FDI की अनुमति नहीं है।
- **व्यापारियों की चिंताओं को उजागर करना:**
  - व्यापारियों ने ई-कॉमर्स के नियमों के उल्लंघन, जैसे- **भारी छूट और चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता दिये जाने को लेकर चिंता जताई है।**
  - नीति का उद्देश्य इन मुद्दों को स्पष्ट करना और ई-कॉमर्स में FDI को नियंत्रित करने वाले नियमों में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है।
  - उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 और प्रस्तावित संशोधनों को निरंतरता के लिये ई-कॉमर्स नीति के साथ जोड़ा जाएगा।
- **व्यापक ढाँचा:**
  - ई-कॉमर्स नीति इस क्षेत्र के लिये एक व्यापक ढाँचे के रूप में काम करेगी, जो विभिन्न शासकीय कार्यों के बीच सुसंगतता सुनिश्चित करेगी।
    - यह क्षेत्र FDI नीति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा शासित है।
  - नीति का उद्देश्य इन विनियमों को सुव्यवस्थित करना और ई-कॉमर्स उद्योग के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाना है।

भारत सरकार की ई-कॉमर्स संबंधित अन्य पहलें:

- भारतनेट परियोजना **का शुभारंभ:**
  - प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की पहुँच बढ़ेगी।
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):
  - इस नेटवर्क का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को डिजिटल कॉमर्स में व्यापक स्तर पर बढ़ने और ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करने के लिये समान अवसर प्रदान करना है
- **डिजिटल इंडिया पहल:**
  - डिजिटल इंडिया पहल ने स्टार्ट-अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सहित **सरकार के नेतृत्व वाली अन्य पहलों को सुदृढ़ गति प्रदान की है** जिनकी वैश्विक सफलताओं में परिवर्तित होने की अपार संभावनाएँ हैं।

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-e-commerce-policy-1